

बिहार सरकार, कृषि विभाग
बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

बिहार कोशी वेसिन विकास परियोजना के अंतर्गत कृषि कार्यो के क्रियान्वयन हेतु
विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन के लिए Terms of Reference (TOR)

1. परिचय – अगस्त 2008 में कोशी बांध में दरार पड़ जाने के कारण कोशी क्षेत्र के बड़े भू-भाग में बाढ़ का पानी एवं बालू जमा हो गया जिसके फलस्वरूप वहाँ पर जान-माल की क्षति हुई तथा खेती योग्य उर्वरक भूमि बेकार हो गई। कोशी वेसिन रिभर में जमा हुई रेत को खेती योग्य उपजाऊ बनाकर उत्पादकता में वृद्धि तथा किसानों के आर्थिक आमदनी में वृद्धि आदि के लिए बिहार कोशी वेसिन विकास परियोजना चलाया जाना है। इस परियोजना अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा जिसके लिए मानव बल की आवश्यकता है।

2. आवेदन पत्र का आमंत्रण—

बिहार कोशी वेसिन विकास परियोजना अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर संविदा आधारित नियोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र (अनुसूची-1) में ऑन-लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदवार संख्या, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अधिकतम उम्र सीमा एवं मासिक नियत वेतन का विवरण निम्न प्रकार से है—

S. No.	Name of the post	No. of posts	Minimum Educational Qualification	Experience	Maximum Age limits (in years) as on 01.04.2017	Remuneration/ Fixed Emolument (Rs./ Per month)
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (एग्री) (राज्य स्तर)	1	1. M.Sc. Agriculture from recognized university	with at least 10 years experience in agribusiness activities	50	90000/-
			OR 1.MBA in agribusiness from reputed institute	with 10 years of experience in agribusiness activities		
			2.Having good computer knowledge of MS Word/Excel/PP			

(247)

S. No.	Name of the post	No. of posts	Minimum Educational Qualification	Experience	Maximum Age limits (in years) as on 01.04.2017	Remuneration/ Fixed Emolument (Rs./ Per month)
1	2	3	4	5	6	7
2.	एग्री बिजनेस स्पेशलिस्ट (राज्य स्तर)	1	1.MBA in Agri business Management or similar field from reputed institute 2.Having good computer knowledge of MS Word/Excel/PP	1. Min. 7 years experience in similar field, with significant private sector experience	50	80000/-
3.	वैल्यू चेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट (राज्य स्तर)	1	1.MBA in Agri business Management or similar field from reputed institute 2.Having good computer knowledge of MS Word/Excel/PP	Min. 7 years in private sector/industry/value chain management	50	80000/-
4.	मॉनिटरिंग एण्ड इमैलूएशन एक्सपर्ट (राज्य स्तर)	1	1. MSc. Or similar degree from reputed institute, 2.Having good computer knowledge of MS Word/Excel/PP	Min. 10 years experience in project-level monitoring and evaluation particularly externally assisted projects	50	80000/-

S. No.	Name of the post	No. of posts	Minimum Educational Qualification	Experience	Maximum Age limits (in years) as on 01.04.2017	Remuneration/ Fixed Emolument (Rs./ Per month)
1	2	3	4	5	6	7
5.	प्रोड्यूसर कम्पनी एक्सपर्ट (राज्य स्तर)	1	1.MBA in Agri business Management from reputed institute 2.Having good computer knowledge of MS Word/Excel/PP	Min. 7 years experience in development of Producer Companies or similar and Management thereof	50	80000/-
6.	डीप्टी मैनेजर (फाइनांस एण्ड एकाउन्ट) (राज्य स्तर)	1	1.CA/ICWA/M.Com. or equivalent degree from any recognized University. 2.Computer proficiency (MS Word/ Excel/PP).	Min. 6 years experience in financial sectors in any govt. organization / any govt. aided project	50	65000/-
7.	सीनियर कन्सलटेन्ट (एग्रीकल्चर) (राज्य स्तर)	1	1. Personnel Recruited on Contractual basis having M.Sc. Agriculture or Deputed From University/ Department of Agriculture. 2. Having good computer knowledge of MS Excel/ Word/ PP.	At least 10 years of experience in extension work	50	75000/-

S. No.	Name of the post	No. of posts	Minimum Educational Qualification	Experience	Maximum Age limits (in years) as on 01.04.2017	Remuneration/ Fixed Emolument (Rs./ Per month)
1	2	3	4	5	6	7
8.	सीनियर कन्सलटेन्ट (हार्टिकल्चर) (राज्य स्तर)	1	1. Personnel recruited on Contractual basis having M.Sc. Horticulture/ Agriculture or deputed from University/ Department of Agriculture. 2. Having good computer knowledge of MS Excel/ Word/ PP.	At least 10 years of experience in extension work	50	75000/-
9.	सोशल मोवैलाइजेशन-कम-ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर (राज्य स्तर)	1	1.MSW/MBA(HR)/PGD M(HR) from a reputed institute or any recognized university. 2. Having good computer knowledge of MS Excel/ Word/ PP.	Min. 5 years of relevant experience in social mobilization , implementation of social Development projects within NGO/Development agencies will have and added advantage	50	60000/-
10.	मैनेजर आईटी / एमआईएस (राज्य स्तर)	1	1.B. Tech degree in IT/MCA/IT Management /Computer Science from reputed Institute/University,.	Min. 7 years experience in Management of IT/MIS/DB MS in large projects	50	70000/-
11.	मैनेजर एचआर (राज्य स्तर)	1	1.MBA/PG Degree/PG Diploma in Human Resource Management from reputed institute.	Min. 5 years post qualification relevant	50	60000/-

244

S. No.	Name of the post	No. of posts	Minimum Educational Qualification	Experience	Maximum Age limits (in years) as on 01.04.2017	Remuneration/ Fixed Emolument (Rs./ Per month)
1	2	3	4	5	6	7
				experience in management of human resource of such projects		
			2.Proficiency in working with MS Excel/Word/PP is must			
12.	डाक्यूमेन्टेशन कोऑर्डिनेटर (राज्य स्तर)	1	BCA/MCA from any recognized university/Institute	Min. 7 years of experience in document designing	50	45000/-
13.	एकाउन्टेन्ट (State level)	3	1.Commerce Graduate with computer proficiency and knowledge of working with Tally.	Min. 3 years experience in accounting	45	30000/-
			2.Good knowledge of English language			
14.	असिस्टेन्ट (State level)	6	1. Graduate in any discipline with 1 year diploma in computer application and proficiency in typing in Hindi and English.	Min. 3 years experience in similar task	45	25000/-
			2.Having fare computer knowledge in MS Excel.			
15.	इनफॉर्मेशन फ़ैसिलिटेटर (राज्य स्तर)	1	1.BCA/PG Diploma in Computer Applications from recognized institute/University	Min. 3 years experience	45	30000/-
			2.Proficiency in MS Office(particularly MS-Excel/word/PP)			

S. No.	Name of the post	No. of posts	Minimum Educational Qualification	Experience	Maximum Age limits (in years) as on 01.04.2017	Remuneration/ Fixed Emolument (Rs./ Per month)
1	2	3	4	5	6	7
16.	कम्प्यूटर ऑपरेटर (राज्य स्तर)	1	1. Graduate with one year Diploma in Computer Application 2. Knowledge in MS Word/MS Excel/MS PP certificate course	Computer knowledge with 01 year experience in similar field	40	20000/-
17.	मैसेन्जर (राज्य स्तर)	1	Intermediate Pass	having such experience	40	12000/-
18.	अनुसेवक (4 th ग्रेड स्टाफ) (राज्य स्तर)	02	Matriculation Passed		40	10000/-
19.	Asst DPM cum Agribusiness Manager (District Level)	05	1. B. Sc (Ag) from a recognised university/Institute with good academic record with OR MBA Agri-business from a recognized university / Institute with good academic record 2. Having good computer knowledge of MS Excel/Word/PP.	at least 5 years of experience in agriculture extension at least 3 years of experience in agri business activities of similar nature	45	Rs 55000/-
20	Consultant- Group Management (District Level)	05	1. MBA Agri-business/MBA in Rural Development/MSW from a recognized university/Institute with good academic record and 2. Having good computer knowledge of MS Excel/Word/PP.	At least 3 years of experience in related activities.	45	Rs 55000/-
21	District Accountant (District Level)	10	1. Commerce Graduate with computer proficiency and tally knowledge and functional knowledge of English. 2. Having good computer knowledge of MS Excel/Word/PP.	Min 2 year experience in accounting.	45	Rs 25000/-
22	Information Facilitator (District Level)	05	1. BCA/ PG Diploma in Computer Applications from a recognized institute/	3 years experience	45	Rs 25000/-

S. No.	Name of the post	No. of posts	Minimum Educational Qualification	Experience	Maximum Age limits (in years) as on 01.04.2017	Remuneration/ Fixed Emolument (Rs./ Per month)
1	2	3	4	5	6	7
			University			
			2. Proficiency in MS office (particularly MS-Excel)			
23	अनुसेवक (4 th grade staff (District Level)	05	10th/ Matriculation Passed	-	45	Rs 10000/-
24.	एग्री बिजनेस फ़ैसिलिटेटर (प्रखंड स्तर)	57	1. B.Sc. Agri./Horti. From recognized university	at least 5 years of experience in agri business/ private sector	45	Rs 40000/-
			2. Having good computer knowledge of MS Excel/Word/PP.			

3. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता—

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- कंडिका संख्या-2 में अंकित सभी अर्हता को पूरा करता हो।
- प्रत्येक पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित है परन्तु बिहार सरकार के द्वारा समय-समय पर प्रवृत्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/महिला/पिछड़ी जाति/अत्यन्त पिछड़ी जाति/पिछड़ा वर्ग महिला को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। यह छूट पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष अनुमान्य होगी।

4. आरक्षण — सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये समय-समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में लागू होंगे। पदवार आरक्षण रोस्टर अनुसूची-2 के रूप में संलग्न है।

नोट — आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार से जाति प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग महिला/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला/महिला) आवेदन के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

5. आवेदन देने की प्रक्रिया –

- आवेदन पत्र ऑन-लाइन हीं स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदन पत्र बामेती के वेबसाईट www.bameti.org तथा कृषि विभाग, बिहार के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in के माध्यम से किया जा सकता है।
- आवेदन पत्रों से संबंधित डाटा का संधारण NIC के माध्यम से लिंक लेकर किया जाएगा।
- **On-line** आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि से 20.12.2017 के 5.00 बजे अपराहन तक Submit किया जा सकता है।
- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी और उसे बामेती/कृषि विभाग, बिहार सरकार के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।

6. आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध प्रमाणपत्रों के सत्यापन तथा नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने हेतु राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन – समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से होगा –

- | | |
|---|--------------|
| i. निदेशक बामेती, बिहार, पटना | – अध्यक्ष |
| ii. श्री संजय कुमार, उप निदेशक, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, मीठापुर, पटना | – सदस्य |
| iii. डा0 प्रमोद कुमार, उप निदेशक (सर्वेलेन्स) पौधा संरक्षण, बिहार, पटना | – सदस्य |
| iv. श्री नीतेश राय, उप निदेशक (उद्यान), पटना प्रमंडल | – सदस्य |
| v. श्री ब्रज किशोर, सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण),
कार्यालय संयुक्त निदेशक (शस्य) पटना प्रमंडल, पटना | – सदस्य |
| vi. श्री जग्रनाथ प्रसाद राय, सहायक निदेशक (बीज विश्लेषण प्रयोगशाला)
मीठापुर, पटना | – सदस्य |
| vii. श्री रूपेश कुमार लोहानी, उप निदेशक (सूचना तकनीक), बामेती | – सदस्य सचिव |
- इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे –

- आवेदन पत्रों एवं सभी प्रमाणपत्रों का सत्यापन
- आरक्षण रोस्टर बनाना
- नियोजन प्रक्रिया पूरी कराने संबंधी सभी कार्य
- अभ्यर्थियों का मेधा/चयन सूची बनाना
- समिति के सदस्य अपने कार्यों के अतिरिक्त नियोजन प्रक्रिया पूरी होने तक उपर्युक्त कार्यों का सम्पादन करेंगे।

समिति साप्ताहिक रूप से अपना प्रतिवेदन प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना को उपलब्ध कराएगी।

7. नियोजन हेतु समय सीमा का निर्धारण –

क्र०सं०	कार्य का विवरण	समय सीमा	दायित्व
1.	ऑन लाईन आवेदन देने की अंतिम तिथि	20 दिसम्बर, 2017 के 5.00 बजे अपराह्न तक	NIC
2.	Draft List of Shortlisted Candidates का प्रकाशन	22-27 दिसम्बर, 2017	NIC / बामेती (राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति)
3.	आवेदक अपनी आपत्ति NIC को भेज सकेंगे	28 दिसम्बर 2017-02 जनवरी, 2018	NIC
4.	आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात Final List of Shortlisted Candidates का प्रकाशन	03-07 जनवरी, 2018	NIC / बामेती (राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति)
5.	Final List of Shortlisted Candidates द्वारा प्रमाणपत्रों को वेबसाईट पर अपलोडिंग	08-14 जनवरी, 2018	NIC / बामेती (राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति)
6.	प्रमाणपत्रों का डाउनलोड एवं TOR के आलोक में मिलान/जाँच	15-20 जनवरी, 2018	बामेती (राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति)
7.	पदवार अंतिम सूची का प्रकाशन	21-24 जनवरी, 2018	NIC / बामेती (राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति)
8.	टर्म ऑफ रेफरेन्स के आलोक में किसी पद के लिए निर्धारित संख्या से अधिक अभ्यर्थी होने पर स्कूटनी के पश्चात साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों के सूची का प्रकाशन	29-31 जनवरी, 2018	NIC / बामेती (राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति)
9.	चयनित अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन	02-13 फरवरी, 2018	राज्य स्तरीय साक्षात्कार समिति

- अंतिम सूची प्रकाशन के उपरांत आवेदकों द्वारा समर्पित प्रमाणपत्रों का मूल प्रमाणपत्रों से सत्यापन हेतु काउंसिलिंग राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित की जाएगी।
- काउंसिलिंग के उपरांत योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

8. मेधा सूची निर्धारण की प्रक्रिया – अभ्यर्थियों का मेधा सूची निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा—

8.1. कोटि-1 के पदों के लिए साक्षात्कार हेतु राज्य स्तर पर साक्षात्कार समिति का गठन—

नियोजन की पूर्ण प्रक्रिया एवं साक्षात्कार हेतु राज्य स्तर पर चयन समिति के गठन का प्रस्ताव दिया जाता है जो निम्न प्रकार से है –

- कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना – अध्यक्ष
- कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी – सदस्य
- निदेशक कृषि, बिहार, पटना – सदस्य
- निदेशक उद्यान, बिहार, पटना – सदस्य
- राज्य परियोजना प्रबंधक बिहार कोशी वेसिन विकास परियोजना – सदस्य
- नोडल पदाधिकारी, बिहार कोशी वेसिन विकास परियोजना – सदस्य
- उप परियोजना प्रबंधक बिहार कोशी वेसिन विकास परियोजना – सदस्य
- ललित नारायण मिश्रा प्रबंधन संस्थान, पटना से प्राधिकृत विशेषज्ञ – सदस्य
- चंद्रगुप्त मौर्य प्रबंधन संस्थान, पटना से प्राधिकृत विशेषज्ञ – सदस्य
- डा0 ब्रजेश कुमार, संयुक्त निदेशक (शस्य) फसल एवं प्रक्षेत्र, बिहार (अनुसूचित जाति सदस्य के रूप में) – सदस्य
- निदेशक बामेती, बिहार, पटना – सदस्य सचिव

8.2. नियोजन प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु विभिन्न पदों के लिए कोटि का निर्धारण – नियोजन संबंधी प्रक्रिया पूरी कराने हेतु पदों को तीन कोटियों में बाँटा गया है। पदवार आवेदकों के मेधा सूची के निर्धारण हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार से है—

8.2.1. कोटि-1 : स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एग्री बिजनेस स्पेशलिस्ट, वैल्यू चेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, मॉनिटरिंग एण्ड इम्प्लूएशन एक्सपर्ट, प्रोड्यूसर कम्पनी एक्सपर्ट, डीप्टी मैनेजर (फाइनांस एण्ड एकाउन्ट), सीनियर कन्सलटेन्ट (एग्रीकल्चर), सीनियर कन्सलटेन्ट (हार्टिकल्चर), सोशल मोवैलाइजेशन –कम– ट्रेनिंग कॉर्डिनेटर, मैनेजर आई0टी0/एम0आई0एस0, मैनेजर एच0 आर0, असिस्टेन्ट डी0पी0एम0 –कम– एग्री बिजनेस मैनेजर, कनसलटेन्ट (ग्रुप मैनेजमेन्ट), एग्री बिजनेस फौसिलिटेटर।

8.2.2. कोटि -2 : डाक्यूमेन्टेशन कोऑर्डिनेटर, स्टेट लेवल एकाउन्टेन्ट, स्टेट लेवल ऑफिस असिस्टेन्ट, इनफॉर्मेशन फ़ैसिलिटेटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डिस्ट्रीक एकाउन्टेन्ट, डिस्ट्रीक लेवल इनफॉर्मेशन फ़ैसिलिटेटर।

8.2.3. कोटि-3 : मैसेन्जर एवं अनुसेवक (फ़ोर्थ ग्रेड स्टाफ)।

8.3. कोटि -1 : - सभी पदों पर नियोजन के लिए पदवार आवेदकों के मेधा सूची के निर्धारण की प्रक्रिया-

कोटि-1 के सभी पदों के लिए मेधा सूची का निर्धारण हेतु शैक्षणिक योग्यता पर 50 अंक, अनुभव के लिए 10 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 40 अंक निर्धारित किया जाता है यानि कुल 100 अंक निर्धारित किया जाता है।

क. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक निम्न प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं -

शैक्षणिक योग्यता का विवरण	ग्रेड/डिवीजन वार अंक का निर्धारण			अभ्युक्ति
	विशेष योग्यता (75 प्रतिशत अंक एवं उससे अधिक)	प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत एवं इससे अधिक तथा 75 प्रतिशत से कम)	द्वितीय श्रेणी (45 प्रतिशत एवं इससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम)	
मैट्रिक (10 पास)	05	4	3	
इंटरमीडिएट	05	4	3	
स्नातक	20	15	10	
स्नातकोत्तर	20	15	10	

ख. अनुभव के लिए अंक का निर्धारण -

- सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए अंक दिए जायेंगे। निजी क्षेत्र में वैसी संस्थाओं/स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुभव लाभ मान्य किया जायेगा, जिनकी सलाना टर्न ओवर 50 करोड़ रु० से अधिक तथा कुल कर्मचारियों की संख्या 100 से ज्यादा हो (निजी/स्वयं सेवी संस्थाओं का अनुभव वाले अभ्यर्थी को प्रतिष्ठान का टर्न ओवर एवं उसके कर्मचारियों के संख्या संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव मान्य नहीं होगा)।
 - निर्धारित अनुभव वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए अधिमान्यता अर्थात अंक का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है-
- | | |
|---|----------|
| ✓ निर्धारित अनुभव वर्ष से 01 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | - 02 अंक |
| ✓ निर्धारित अनुभव वर्ष से 02 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | - 04 अंक |
| ✓ निर्धारित अनुभव वर्ष से 03 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | - 06 अंक |

- ✓ निर्धारित अनुभव वर्ष से 04 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव — 08 अंक
- ✓ निर्धारित अनुभव वर्ष से 05 वर्ष एवं इससे अधिक का अतिरिक्त कार्य अनुभव — 10 अंक

- वाह्य सम्पोसित प्रोजेक्ट यथा वर्ल्ड बैंक/ए० डी० बी०/डी०एफ०आई०डी० इत्यादि में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को शत प्रतिशत अधिमान्यता अर्थात् 10 में 10 अंक दिए जायेंगे (ऐसे अभ्यर्थियों को इन संस्थाओं में कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव का लाभ देय नहीं होगा)।
- शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार के अंको को जोड़कर मेधा सूची बनाई जाएगी।

नोट — 01 पद के लिए आवेदकों की संख्या 25 से ज्यादा होने पर अभ्यर्थियों के मेधा का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा—

- शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर वरीयता सूची बनाई जाएगी
- वरीयता सूची के प्रथम 25 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित कर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

निदेशक बामेती, बिहार, पटना “नियोजन प्राधिकार” की जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे।

8.4. काटि-2 एवं कोटि-3 के पदों पर साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार समिति का गठन —

साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए एक समिति के गठन का प्रस्ताव दिया जाता है जो निम्न प्रकार से है—

- | | | |
|---|---|---------|
| ● निदेशक कृषि, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| ● निदेशक उद्यान, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| ● निदेशक पी०पी०एम०, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| ● निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना | — | सदस्य |
| ● बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| ● श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना (अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में) | — | सदस्य |

- निदेशक बामेती, बिहार, पटना — सदस्य सचिव

निदेशक बामेती, बिहार, पटना “नियोजन प्राधिकार” की जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे।

8.4.1 कोटि – 2 : सभी पदों पर नियोजन के लिए पदवार आवेदकों के मेधा सूची के निर्धारण की प्रक्रिया—

कोटि-2 श्रेणी के सभी पदों के लिए मेधा सूची का निर्धारण हेतु शैक्षणिक योग्यता पर 50 अंक, अनुभव के लिए 10 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 40 अंक निर्धारित किया जाता है यानि कुल 100 अंक निर्धारित किया जाता है।

क. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक निम्न प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं –

शैक्षणिक योग्यता का विवरण	ग्रेड/डिवीजन वार अंक का निर्धारण			अभ्युक्ति
	विशेष योग्यता (75 प्रतिशत अंक एवं उससे अधिक)	प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत एवं इससे अधिक तथा 75 प्रतिशत से कम)	द्वितीय श्रेणी (45 प्रतिशत एवं इससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम)	
मैट्रिक (10 पास)	05	4	3	
इंटरमीडिएट	05	4	3	
स्नातक	20	16	12	
स्नातकोत्तर	20	16	12	

ख. अनुभव के लिए अंक का निर्धारण –

- सरकारी, अर्द्ध सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए अंक दिए जायेंगे। निजी क्षेत्र में वैसी संस्थाओं/स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुभव लाभ मान्य किया जायेगा, जिनकी सलाना टर्न ओवर 50 करोड़ रु० से अधिक तथा कुल कर्मचारियों की संख्या 100 से ज्यादा हो (निजी/स्वयं सेवी संस्थाओं का अनुभव वाले अभ्यर्थी को प्रतिष्ठान का टर्न ओवर एवं उसके कर्मचारियों के संख्या संबंधी प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव मान्य नहीं होगा)।
 - निर्धारित अनुभव वर्ष से अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के लिए अधिमान्यता अर्थात अंक का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है—
- | | |
|---|----------|
| ✓ निर्धारित अनुभव वर्ष से 01 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 02 अंक |
| ✓ निर्धारित अनुभव वर्ष से 02 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 04 अंक |
| ✓ निर्धारित अनुभव वर्ष से 03 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 06 अंक |
| ✓ निर्धारित अनुभव वर्ष से 04 वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 08 अंक |
| ✓ निर्धारित अनुभव वर्ष से 05 वर्ष एवं इससे अधिक का अतिरिक्त कार्य अनुभव | – 10 अंक |

- वाह्य सम्पोसित प्रोजेक्ट यथा वर्ल्ड बैंक/ए० डी० बी०/डी०एफ०आई०डी० इत्यादि में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को शत प्रतिशत अधिमान्यता अर्थात् 10 में 10 अंक दिए जायेंगे (ऐसे अभ्यर्थियों को इन संस्थाओं में कार्य करने संबंधी अनुभव प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव का लाभ देय नहीं होगा)।
- शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं साक्षात्कार के अंको को जोड़कर मेधा सूची बनाई जाएगी।

नोट – किसी 01 पद के लिए आवेदकों की संख्या ज्यादा होने पर अभ्यर्थियों के छटनी हेतु वरीयता का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा—

- शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी
- पदवार अधिकतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण (स्कूटनी) निम्न प्रकार से किया जाएगा—
 - ❖ वैसे पद जिनकी संख्या 01–02 है उनके लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 25 अभ्यर्थी
 - ❖ वैसे पद जिनकी संख्या 03–06 है उनके लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 30 अभ्यर्थी
 - ❖ वैसे पद जिनकी संख्या 10 है उनके लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 35 अभ्यर्थी
 - ❖ वैसे पद जिनकी संख्या 57 है उनके लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 100 अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी तथा साक्षात्कार आयोजित कर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

निदेशक बामेती, बिहार, पटना “नियोजन प्राधिकार” की जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे।

8.4.2. कोटि –3 : सभी पदों पर नियोजन के लिए पदवार आवेदकों के मेधा सूची के निर्धारण की प्रक्रिया—

कोटि 3 अंतर्गत पदों के मेधा सूची के निर्धारण के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए 20 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 10 अंक निर्धारित किया जाता है।

क. शैक्षणिक योग्यता के लिए अंक निम्न प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं -

शैक्षणिक योग्यता का विवरण	ग्रेड/डिवीजन वार अंक का निर्धारण			अभ्युक्ति
	विशेष योग्यता (75 प्रतिशत अंक एवं उससे अधिक)	प्रथम श्रेणी (60 प्रतिशत एवं इससे अधिक तथा 75 प्रतिशत से कम)	द्वितीय श्रेणी (45 प्रतिशत एवं इससे अधिक तथा 60 प्रतिशत से कम)	
मैट्रिक (10 पास)	15	10	05	
इंटरमीडिएट	05	05	03	

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदवार अभ्यर्थियों की वरीयता सूची बनाई जाएगी तथा किसी पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या 20 से अधिक होने की स्थिति में संबंधित पद के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले निर्धारित संख्या से 03 गुणा अभ्यर्थियों का चयन कर साक्षात्कार आयोजित कर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

9. उपर्युक्त तीनों कोटि में अंकित पदों के लिए निर्धारित अंको का न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही संबंधित अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

10. चयन की प्रक्रिया-

- राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा पदवार अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी।
- प्रत्येक पद के लिए कम से कम 03 योग्य अभ्यर्थियों का होना आवश्यक होगा।
- प्रत्येक पद के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को नियोजित करने हेतु चयन समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी।
- प्रत्येक पद के लिए कम से कम 05-05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा तैयार की जाएगी।
- चयनित एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का अनुमोदन राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति द्वारा निदेशक बामेती के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि, बिहार से प्राप्त की जाएगी।
- किसी पद के लिए अभ्यर्थी के अयोग्य पाए जाने, त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना द्वारा संबंधित पद के लिए अभ्यर्थी की मांग किए जाने पर प्रतीक्षा सूची से वरीयतम अभ्यर्थी का चयन बामेती द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत किया जाएगा तथा नियोजित व्यक्ति के संबंध में सूचना बामेती द्वारा बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना को उपलब्ध कराया जाएगा।

- कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरान्त एवं चयनित तथा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की सूची एवं सभी सम्बद्ध कागजात बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना को निदेशक, बामेती, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

11. नियोजन की अवधि—

बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किया जाएगा। अतः उनका नियोजन वित्तीय वर्ष 2018-19 तक के लिए किया जाएगा। संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मूल्यांकन के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना द्वारा उनका अवधि विस्तार बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के चालू रहने तक किया जा सकेगा। कार्य संतोषजनक नहीं होने पर मूल्यांकन के आधार पर कभी भी सेवा मुक्त किया जा सकता है।

12. नियोजन की समाप्ति—

अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार से नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

13. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व—

कृषि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 103 दिनांक 07.04.2017 द्वारा बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के लिए निर्गत अनुदेश जो अनुसूची-02 (टर्म ऑफ रेफरेन्स) के रूप में संलग्न है में अंकित निदेशों तथा अंकित दायित्वों का पालन करना होगा।

14. नियोजन पत्र निर्गत करना—

निदेशक बामेती, बिहार द्वारा पदवार चयनित एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की सूची राज्य परियोजना प्रबंधक (कृषि विभाग), बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना को उपलब्ध कराई जाएगी तथा बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना द्वारा अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र निदेशक कृषि, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत किया जाएगा। इसके बाद शेष कार्रवाई राज्य परियोजना प्रबंधक (कृषि विभाग), बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना द्वारा की जाएगी।

15. एकरारनामा—

संविदा आधारित नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा अनुबंध पर नियोजन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत/निर्धारित प्रपत्र में एकरारनामा किया जाएगा।

Rupesh
17/11/17
(रूपेश कुमार लोहानी)

उप निदेशक (सूचना तकनीक),
बामेती, बिहार, पटना

Ram
17/11/17
(गणेश राम)

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

Ram-ak
17-11-17
(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव
कृषि, बिहार, पटना